राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –777/2011 जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, अलवर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रस्तोगी सेल्स (प्रा.) लि.
महावीर मार्ग, एम.आई.रोड़, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थितः–
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी–विभाग की ओर से
श्री डी.कुमार
अधिकृत अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 12/अपील्स–II/आरवीएटी/जयपुर/बी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उन्होने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"**कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति 1,45,909/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 25.02.2009 को वाहन संख्या आरजे–14/जीबी–0561 को शाहजहांपुर के पास रोक कर चैक किया गया। परिवहनित माल के संबंध में वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के संबंध में माल प्रिजवर्ड फ्रूट व वेजीटेबल हरियाणा से जयपुर परिवहनित किया जाना पाया गया। परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वेट–47 प्रस्तुत नहीं पाया गया। अतः घोषणा पत्र वेट–47 के अभाव में सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन किया जाना मानकर, व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में जवाब व वैट–47 पेश किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की पश्चात्वर्ती सोच मानते हुये जवाब को अस्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 26.02.2009 द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रुपये 1,45,909/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 22.10.2010 द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलाथी–विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित

लगातार.....2

आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक है, क्योंकि जांच के समय वांछित दस्तावेज संलग्न थे जिनमें समस्त जानकारियां अंकित की गई थी। प्रेषक फर्म के परिवार में विवाह का आयोजन होने के कारण भूलवश वैट–47 माल के साथ नहीं भेजा जा सका जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अवसर उपलब्ध कराने पर सशक्त अधिकारी के समक्ष फार्म वैट–47 संख्या 2281999 पेश कर दिया गया। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी.मैटल्स 124 एस.टी.सी 611 का हवाला दिया तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित (2016) 14 आरजीएसटीआर 22 एवं (2016) 14 आरजीएसटीआर 24 न्यायिक दृष्टांतों भी प्रस्तुत किये। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ वक्त जांच जो दस्तावेज संलग्न थे उनमें समस्त जानकारियां अंकित की गई थी। यह भी सही है कि प्रेषक फर्म के परिवार में विवाह का आयोजन होने के कारण भूलवश वैट–47 अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं था जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अवसर उपलब्ध कराने पर फार्म वैट–47 2281999 पेश कर दिया गया। उक्त प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी.मैटल्स 124 एस.टी.सी 611 व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से आच्छादित होने के कारण सशक्त अधिकारी प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने भी आरोपित शास्ति को अपास्त करने में किसी प्रकार त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से आरोपित शास्ति अपास्त होने योग्य है।

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.10.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष